दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

टांगी मारकर पति की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार

रायगढ़। पति-पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के बाद आक्रोशित पत्नी ने टांगी से पति पर ताबडतोड हमला करते हुए उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना धरमजयगढ़ के नेवार गांव की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना धरमजयगढ़ के ग्राम नेवार निवासी सोनसाय तिर्की के तीन पुत्र रफैल तिर्की (40 वर्ष), बन्धु तिर्की(35 वर्ष), मुन्ना तिर्की(30 वर्ष) अपने-अपने पत्नी व बच्चों के साथ एक-दुसरे के घर के पास रहते हैं । मझला बंधु तिर्की व उसकी पत्नी सुनिता तिर्की के बीच अक्सर शराब पीने तथा घरेलू बातों को लेकर झगड़ा विवाद होता रहता था कि 07 जून को दिन करीब 01.30 बजे परिवार के लोग खेत में महुआ का डोरी बिनने गये हुए थे । बन्धु तिर्की उसकी पत्नी सुनिता तिर्की अपने घर पर थे , दोनों के बीच दोपहर में झगड़ा हुआ और सुनिता तिर्की टांगी से अपने पति बंधु तिर्की के सिर, गाल में मारकर गंभीर चोट पहुंचायी जिसे गंभीर आहत में डॉयल 112 स्टाफ धरमजयगढ़ अस्पताल पहुंचाये जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित किया । घटना की रिपोर्ट थाना धरमजयगढ़ में रफैल तिर्की द्वारा दर्ज कराया गया जिस पर सुनिता तिर्की उम्र करीब 30 वर्ष के विरूद्ध धारा 302 भादंवि दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है ।

डम्फर की ठोंकर से 11 वर्षीय बालिका की मौत

रायगढ़। बरमकेला थाना क्षेत्र के गोबरसिंघा बस्ती के पहले एक तेज रफ्तार डम्फर ने बाइक सवार पिता पुत्री को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे डम्फर के चक्कों के नीचे आने से 11 वर्षीय बालिका ज्योति सिदार की मौके पर ही मौत हो गई वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पुलिस ने डम्फर के चालक के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 279, 337, 304 (ए) ता.हि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।

मां से बिछड़े चौसिंघा को भेजा गया कानन पेंडारी

रायगढ़। गत दिनों जामंगा सर्किल के कुकुर्दा के जंगल में एक चौसिंघा का शावक अपनी मां से बिछड़ गया था। ग्रामीणों ने उसे जंगल से लाकर मामले की जानकारी वन अमला को दी। इसके बाद से उसे सुरक्षित ढंग से इंदिरा विहार में वन विभाग व सेव फारेस्ट की देखरेख में रखा जा रहा था। जहां आज उसे बिलासपुर के जू कानन पेंडारी में भेजा गया।

विदित हो कि चौसिंघा को जब ग्रामीणों ने जंगल से लाने के बाद वन अमला के सुर्पूद किया, तो वन विभाग के लिए उसे जीवित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में इंदिरा विहार प्रबंधन को इसका जिम्मा डीएफओ मनोज पांडे ने सौंपा। तब सेव फारेस्ट के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल व उनकी टीम सहित वन अमला की देखरेख में उसे रखा जा रहा था। ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घटित हो जाए, लेकिन बेहतर ढंग से उसका पालन पोषण यहां किए जाने लगा और इसी बीच चौसिंघा का नामकरण किया गया। इसके बाद से इसे पुचपुच कह कर पुकारा जाने लगा, चौसिंघा इंदिरा विहार में आकर्षण का केन्द्र भी बन गया, लेकिन शावक को यहां हमेशा के लिए रखना उचित नहीं था। कभी भी कोई घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे में सेव फारेस्ट के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने डीएफओ मनोज पांडे से चौसिंघा को कानन पेंडारी भेजने का निवेदन किया गया। तब तत्काल डीएफओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को चौसिंघा को कानन पेंडारी भेजने के लिए निर्देशित किए। इसके बाद प्रक्रिया शुरू की गई और आज बिलासपुर कानन पेंडारी से कर्मचारी संसाधन के पहुंचे और चौसिंघा को इंदिरा विहार से कानन पेंडारी ले गए।

इस दौरान रेंजर आरसी यादव, डिप्टी रेंजर राजेश्वर मिश्रा, सेव फारेस्ट समिति अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, सचिव मोहसिन खान, परिसर रक्षक गोवर्धन राठौर, इंदिरा विहार प्रभारी प्रतिमा गुप्ता, विजयपुर वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष श्याम मालाकार सहित अन्य स्टाप मौजूद थे।

चौसिंघा के रूप में हुई पहचान

जब वन अमला को चौसिंघा मिला, तो इसे प्रारंभिक रूप से पहचान नहीं किया जा सका था और इसे कोटरी शावक माना जा रहा था, लेकिन जब आज कानन पेंडारी के विशेषज्ञों को इसे दिखाया गया, तो उन्होंने इसकी पहचान चौसिंघा के रूप में की और बताया कि चौसिंघा एक विलुप्त प्रजाति है। हांलाकि अब कानन पेंडारी में इसे इसकी प्राजाति के साथ सुरक्षित रखा जाएगा।

महिला संबंधी अपराधों पर जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

रायगढ़। जिला पुलिस रायगढ़ द्वारा आज किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में पुलिस अधिकारियों के लिए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय आर.एस.प्रसाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ थे तथा अतिथि वक्ताओं के रूप में अनिल श्रीवास्तव अपर लोक अभियोजक जिला न्यायालय रायगढ़, शांतनु देशलहरे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला रायगढ़, आर.के. पैंकरा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रभारी एफ.एस.एल. यूनिट रायगढ़, वेद प्रकाश पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायगढ़, श्री दुर्गेश सिंह प्रधान आरक्षक जिला साइबर सेल रायगढ़ आमंत्रित थे ।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश कुमार अग्रवाल मंचासीन थे ।

बायसन व नीलगाय की हुई मौत

» सारंगढ़ रेंज का मामला, अंतिम संस्कार कर आगे की कार्रवाई शुरू

रायगढ़। सारंगढ़ वन परिक्षेत्र में एक बायसन व मादा नीलगाय की मौत हो गई। जब मामले की जानकारी वनअमला को लगी, तो तत्काल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बायसन नाला में पानी पीने आया था और काफी उम्र हो जाने व पैर में कोई बिमारी के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं नील गाय मृत हालत में मिली। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक वन अमला को सूचना मिली कि जिले की सीमा सारंगढ़ के लेलहार नाला भकुर्रा के पास एक मादा बायसन पानी पीने के लिए आयी थी। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारों का कहना है कि बायसन की काफी उम्र हो गई थी और उसे देखनें पर पता चला कि पैर खुरहा चपका बिमारी भी उसे थी। फिलहाल उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं सारंगढ़ वन क्षेत्र के भड़ीसार में एक मादा नील गाय मृत हालत में पड़े होने की सूचना वन अमला को मिली। इसके बाद मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल उसके मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में एसडीओ एनआर खुंटे ने बताया कि बायसन का काफी उम्र हो गया था और उसके पैर में बिमारी थी। इस कारण उसकी मौत हुई और मादा नीलगाय मृत हालत में मिली है। दोनों ही मामलों में आगे की जांच की जा रही है।

आरपीएफ के महानिरीक्षक आर एस चौहान रायगढ़ आरपीएफ थाने का किया निरीक्षण

रायगढ़। शुक्रवार 7 जून को रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट का वार्षिक निरीक्षण करने आरपीएफ के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर साउथ बिहार एक्सप्रेस से रायगढ़ आगमन हुआ उनके द्वारा आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होकर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया।

इस सबंध में आरपीएफ रायगढ़ के पोस्ट प्रभारी एम एल यादव ने बताया कि आरपीएफ के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर साउथ बिहार एक्सप्रेस से 7 जून को रायगढ़ आगमन हुआ उनके द्वारा आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होकर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। अलावे इसके आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ में मीटिंग लेकर सबसे पहले दरबार लगाकर बल के सदस्यों की समस्याओं थाने के लंबित प्रकरणों के निपटारे, वारंटों की तामिली हेतु निर्देशित किया थाने के रजिस्टरों, मार्डन गजटो का निरीक्षण ,यात्री सामानों की चोरी की रोकथाम, अवैध वेंडरों की रोकथाम ,यात्रियों की सहायता एवं शालीन से व्यवहार करने की हिदायत दी । रायगढ़ के आरपीएफ बैरक पुराना जूटमिल रेलवे फाटक का निरीक्षण करके मेस में स्वयं जाकर वहाँ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बनने वाले भोजन के का बारीकी के साथ चेक करके भोजन को उच्चस्तरीय बनाने एवं साफ सफाई दुरस्त रखने के निर्देश दिए वही आसपास हरियाली दिखे इसके लिए बैरक में फलदार पेड़ लगाने के लिए भी निर्देशित किया।

थाने के अंदर लगाया दरबार अधिकारियों कर्मचारियों से हुए रूबरू

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथा में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धांतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480